भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-6228
दिनांक 02 अप्रैल, 2026 को उत्तरार्थ

कर्नाटक के कोलार जिले में अनियमित विद्युत आपूर्ति

†6228. श्री एम. मल्लेश बाबू:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को कोलार जिले में अनिश्चित विद्युत आपूर्ति और कम वोल्टेज की समस्या, जिसके कारण सिंचाई पंप सेट बार-बार जल रहे हैं और फसलों का भारी नुकसान हो रहा है, के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आर.डी.एस.एस.) के अंतर्गत कोलार में फीडर पृथक्करण कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है और अब तक गैर-कृषि भार से सफलतापूर्वक अलग किए गए कृषि फीडरों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने पी.एम.-कुसुम योजना के अंतर्गत उक्त पृथक किए गए कृषि फीडर को सौर ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए कोई रूपरेखा तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) किसानों को अपनी पंपिंग अवसंरचना को उन्नत करने, जैसे वोल्टेज के उतार-चढ़ाव को बेहतर ढंग से संभालने के लिए प्रभावपूर्ण पंप या मोटर के लिए उपलब्ध तकनीकी और वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार कोलार जैसे जल की कमी वाले क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की अवधि और गुणवत्ता के संबंध में स्थानीय विद्युत वितरण कंपनियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कृषि फीडरों की रीयल-टाइम, आई.टी.-सक्षम निगरानी लागू करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : चूंकि विद्युत एक समवर्ती विषय है, उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति एवं वितरण संबंधित कार्य राज्य सरकार/वितरण यूटिलिटी के अधिकार-क्षेत्र में है। इसके अतिरिक्त, विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 के नियम (10) के अनुसार, वितरण लाइसेंसधारी सभी उपभोक्ताओं को 24x7 विद्युत की आपूर्ति करेगा। तथापि, आयोग कुछ श्रेणियों के उपभोक्ताओं जैसे कृषि के लिए आपूर्ति के कम घंटों को विनिर्दिष्ट कर सकता है। ये नियम सभी राज्यों और सभी क्षेत्रों के लिए लागू हैं।

राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वितरण यूटिलिटी द्वारा अनियमित विद्युत आपूर्ति या कम वोल्टेज के मुद्दों के संबंध में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है जिसके कारण कोलार जिले में सिंचाई पंप सेट के बार-बार जलने या फसल का उल्लेखनीय नुकसान हो। इसके अतिरिक्त, कोलार जिले के सभी कृषि फीडरों को 3-फेज की विद्युत 7 घंटे दी जा रही हैं।

(ख) : राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, कोलार जिले में राज्य स्कीम तथा कैपेक्स कार्यों के माध्यम से 291 फीडरों का पृथक्करण किया गया है। कर्नाटक राज्य ने फीडर पृथक्करण कार्यों हेतु संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के अंतर्गत भाग नहीं लिया है।

(ग) और (घ) : प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) स्कीम का उद्देश्य कृषि क्षेत्र को डीजल-मुक्त बनाना और किसानों की आय बढ़ाना है। इस स्कीम के अंतर्गत, स्टैंडअलोन सोलर पंपों की स्थापना तथा मौजूदा ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों के सौरीकरण हेतु केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाती है। यह स्कीम मांग-आधारित है, और राज्य द्वारा की गई मांग तथा प्राप्त किए गए उद्देश्यों के आधार पर क्षमता का आवंटन किया जाता है।

स्कीम के अंतर्गत कर्नाटक राज्य की संस्वीकृति और उपलब्धि निम्नानुसार है:

घटक-क (मेगावाट)		**घटक-ख (सं.)**		**घटक-ग (सं.)**	
संस्वीकृत	**उपलब्धि**	**संस्वीकृत पंप**	**उपलब्धि**	**संस्वीकृत पंप**	**उपलब्धि**
0	0	41,365	5,533	7,63,588	86,827

इसके अतिरिक्त, राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, कर्नाटक में पंपों या मोटरों की आवश्यक क्षमता को आईपी सेट उपयोगकर्ताओं द्वारा ही खरीदा और संस्थापित किया जाना चाहिए और ऐसे उपभोक्ताओं को अनिवार्य रूप से ऊर्जा दक्ष स्टार रेटेड पंप सेट संस्थापित करने होंगे।

(ङ) : राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, बीईएससीओएम के कुल 5,216 फीडरों को राष्ट्रीय फीडर मॉनिटरिंग सिस्टम (एनएफएमएस) के साथ एकीकृत किया गया है, जिनमें से 2,103 कृषि फीडर हैं। बीईएससीओएम का वितरण नियंत्रण केंद्र ऐसे सभी 11 केवी फीडरों की लगातार निगरानी करता है और यह सुनिश्चित करता है कि कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की अवधि और गुणवत्ता कर्नाटक सरकार/केईआरसी मानदंडों के अनुसार बनाए रखी जाए।
